

प्रेस नोट थाना कैम्पियरगंज दिनांक 09-07-2021

अपमिश्रित कच्ची शराब के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों तथा अवैध शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रभावी कार्यवाही हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक उतरी के पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज के कुशल मार्गदर्शन व प्रभारी निरीक्षक के कुशल निर्देशन में अवैध रूप से शराब बिक्री के लिये ले जाने से संबंधित अभियुक्त किशन निषाद पुत्र स्व. रामआसरे निवासी ग्राम नगेसरापुर थाना फरेन्दा जनपद महाराजगंज को दिनांक 09.07.2021 समय 06.30 बजे दिन मुखबिर खास के सूचना पर अभियुक्त उपरोक्त को भरवलिया मोड से 100 मीटर उत्तर से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त के पास से 10 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब व 150-150 ग्राम यूरिया व नौसादर बरामद किया गया जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 260/21 धारा 60 ExAct व 272 भादवि में मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय सदर गोरखपुर रवाना किया जा रहा है।

नाम पता अभियुक्त-

अभियुक्त किशन निषाद पुत्र स्व. रामआसरे निवासी ग्राम नगेसरापुर थाना फरेन्दा जनपद महाराजगंज

धारा जिसमें गिरफ्तारी हुई का विवरण-

मु0अ0सं0 260/21 धारा 60 ExAct व 272 भादवि

गिरफ्तारी दिनांक व स्थान का नाम-

09.07.2021 समय 06.30 बजे दिन भरवलिया मोड से 100 मीटर उत्तर

बरामदगी-

10 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब व 150-150 ग्राम यूरिया व नौसादर

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उनि अतुल कुमार तिवारी थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर
2. हे.का. अरविन्द कुमार गिरी थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर
3. का.प्रवीण यादव थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर